

बैठक दिनांक 29.05.2019 सायंकाल 19:30 बजे
स्थान- 05 कालीदास मार्ग
संख्या-1176/सत्ताईस-सिं-2-2019-48 बाढ़/15-टीसी

प्रेषक,

टी0 वेंकटेश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादक आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
राजस्व एवं राहत आयुक्त,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग,
पशुपालन विभाग, खाद्य
एवं रसद विभाग, गृह विभाग।
4. पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।
5. जिलाधिकारी,
पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा, अयोध्या, अम्बेड़कर नगर,
बरती, सन्तकबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर,
सिद्धार्थ नगर, बदायूं, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बिजनौर, फर्रुखाबाद, गाजीपुर,
उन्नाव, बुलन्दशहर, लखनऊ, बरेली, सहारनपुर, शामली, गौतमबुद्ध नगर, रामपुर, हरदोई,
अलीगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, शाहजहांपुर, कासगंज, मुरादाबाद, हमीरपुर।
6. निदेशक,
रिमोट सेंसिंग अप्लीकेशन सेन्टर,
7. निदेशक,
भारतीय मौसम विभाग, लखनऊ।
8. निदेशक,
केन्द्रीय जल आयोग,
प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय,
इन्दिरा नगर, लखनऊ।
9. सेनानायक,
एन0डी0आर0एफ0
(नेशनल डिजास्टर रिस्पॉस फोर्स)
सांस्कृतिक संकुल भवन, वाराणसी।
10. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

दिनांक: 29.05.19

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 28, मई, 2019

विषय: वर्ष 2019 में सम्भावित बाढ़ से बचाव हेतु की गयी/की जा रही तैयारी की समीक्षा किये जाने के
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के बन्ध में।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ

28/05/2019

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि उ0प्र0 में बाढ़ एक वार्षिक आपदा के तौर पर आती है
तथा कई बार प्रदेश के कुछ भागों में भयंकर रूप धारण करती है और कुछ भागों में जल प्लावन की
समस्या उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ एवं जल प्लावन की समस्या के निराकरण हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन
विभाग द्वारा उपलब्ध सीमित संसाधनों से योजनाबद्ध तरीके से बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास की योजनाएं

कार्यान्वित कराई जाती हैं। प्रत्येक वर्ष की बाढ़ एवं जल प्लावन की स्थिति का सामना करने के लिये सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व तैयारियों की जाती हैं, परन्तु बाढ़ एवं जल प्लावन जैसी आपदाओं का सामना करने के लिए शासन के सभी विभागों का सहयोग आवश्यक होता है।

2- उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 29.05.2019 को सायंकाल 19:30 बजे, 05 कालीदास मार्ग में वर्ष 2019 में सम्भावित बाढ़ से बचाव हेतु की गयी/की जा रही तैयारियों की समीक्षा मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्बन्धित विभागों/जिलाधिकारीगणों के साथ की जायेगी। इसमें विशेष रूप से बाढ़ से पूर्व तथा आगामी बाढ़ के समय जिलेवार तैयारियों की समीक्षा एवं अन्य विचारणीय बिन्दु पर समीक्षा की जायेगी।

3- अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में विभाग/जनपद स्तर पर की गयी तैयारी/विवरण के साथ प्रश्नगत समीक्षा बैठक में स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(सी० देकटेश)
प्रमुख सचिव

संख्या-1176(2)/19-सत्ताईस-सि-2-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रधान निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
- (2) निजी सचिव, विशेष सचिव (श्री शुक्ल) मा० मुख्यमंत्री।
- (3) निजी सचिव, मा० सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री जी को उक्त बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु अवगतार्थ सानुरोध प्रेषित।
- (4) निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, बाढ़ नियंत्रण को उक्त बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु अवगतार्थ सानुरोध प्रेषित।
- (5) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन को उक्त बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु अवगतार्थ सानुरोध प्रेषित।
- (6) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त को उक्त बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु अवगतार्थ सानुरोध प्रेषित।
- (7) प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं पर आख्या की बुकलेट समुचित संख्या में तैयार कराकर शासन/सम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा उक्त बैठक में समुचित तैयारी कर, सुसंगत सूचनाओं, सम्बन्धित अधिकारियों को प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करें एवं उक्त बैठक की कार्यवाही को नोट करने हेतु 02 स्टैनों एवं अधिकारियों की उपस्थित रजिस्टर की व्यवस्था करने का कष्ट करें।
- (8) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव/विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन।
- (9) राजस्व अनुभाग-10

आज्ञा से,


(वी० एन० तिवारी)
अनुसचिव